

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

सुमित्रा देवी पत्नी कल्याण मीणा निवासी खण्डेरिया  
बनाम

दुर्गालाल पिता देबी बलाई निवासी भण्डारिया, वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 28/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम झिकली प.ह. धौड आराजी सं. 680,681,682,683,685,686,687,688 कुल कित्ता 08 रकबा 3.0918 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्द में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम झिकली प.ह. धौड आराजी सं. 680,681,682,683,685,686,687,688 कुल कित्ता 08 रकबा 3.0918 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक शककरगढ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 3000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 300 रु राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/2024/318/2024


दिनांक- 13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स.318/2024 अनवान सुमित्रा देवी पत्नी कल्याण मीणा निवासी खण्डेरिया बनाम दुर्गालाल पिता देबी बलाई निवासी भण्डारिया, प्रभुलाल पिता देबी बलाई निवासी भण्डारिया, रामराज पिता नानाराम बलाई निवासी भण्डारिया, मदन पिता सीताराम बलाई निवासी भण्डारिया, दामाराम पिता हेमा मीणा निवासी भण्डारिया, लाभचन्द पिता हेमा निवासी भण्डारिया, रामदयाल पिता कल्याण निवासी भण्डारिया, राकेश पिता लादू बलाई निवासी भण्डारिया, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम झिकली प.ह. धौड आराजी सं. 680,681,682,683,685,686,687,688 कुल किता. 08 रकबा 3.0918 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 3000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 300 रुपये राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा